रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33004/99 REGISTERED NO. DL—33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप खण्ड (ii)
PART II — Section 3 — Sub-secton (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2013/आश्विन 8, 1935
No. 2260] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013/ASVINA 8, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2013

का. आ. 2938(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ), के तहत दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था ।

2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था ।

3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा मार्च, 2013 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 30 सितम्बर, 2013 तक बढ़ाया गया था ।

4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है । इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपवर्तित रहीं । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तर-गुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है । एन एस सी एन अल्ट्रास मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं । भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है ।

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अक्टूबर, 2013 से आगे छ: (6) महीने की अवधि के लिए जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, अशांत क्षेत्र के रूप में जारी रखना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

डॉ. एम.सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2013

S.O. 2938(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministy's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous

condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* the Ministry's notification dated 30th July, 2012.

3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2013 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2013.

4. The law and order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. The NSCN ultras also interfare in the political activities of the Districts by intimidating political leaders for monetary considerations. Apart from, underground Naga outfits. the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.

5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlaing and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2013 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE.II]

Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.